कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अलीराजपुर (म0प्र0)

फारेस्ट केम्पस, खण्डवा बडौदा रोड़, अलीराजपुर–457887

Tel & Fax No. 07394-234530 E-mail : dfot.alp@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 4594 दिनांक : 03/10/23

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड,
धार, मध्यप्रदेश

विषय :– अलीराजपुर जिलें में ए.डी.बी.–6 योजना के अंतर्गत भाभरा–उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्य प्रदेश, भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/1141/2022/10–11/4295 दिनांक 25.09.2023।

—— ★ ——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अलीराजपुर जिलें में ए.डी.बी.–6 योजना के अंतर्गत भाभरा–उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर योजना के संबंध में संदर्भित पत्र से चाही गई जानकारी का प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

अतः संदर्भित पत्र में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक–1 के संबंध में निम्नानुसार जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करे साथ ही बिन्दु क्रमांक–2 अनुसार परियोजना की सही लागत परिवेश पोर्टल पर अपलोड इस कार्यालय को अवगत करावें।

1. वनक्षेत्र में 500 मीटर लंबाई में आपके निर्माण एजेन्सी द्वारा बिना अनुमति मार्ग निर्माण कार्य कराया गया है, उक्त मार्ग निर्माण कार्य किस अवधि में कराया गया है। जानकारी उपलब्ध करावें।
2. उक्त भूमि पर मार्ग निर्माण करने के संबंध में राजस्व विभाग की अनुमति।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल अलीराजपुर

Email Downloading Dt 25/09/23....Time 3:45 PM

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1141 / 2022 / 10–11 / 4295 भोपाल, दिनांक 25-9-23

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, धार, मध्यप्रदेश।

विषयः– अलीराजपुर जिले में ए.डी.बी.–6 योजना के अन्तर्गत भाभरा–उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन / चौड़ीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPB 021/2022-BHO/ दिनांक 11.09.2023

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः भारत सरकार के चाहे अनुसार जानकारी वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

22.09.23
(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1141 / 2022 / 10–11 / 4296 भोपाल, दिनांक 25-9-23

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अलीराजपुर, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपसे एवं आवेदक से संबंधित जानकारी प्राप्त कर एकजाई जानकारी इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

22.09.23
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

मा. डि. 25/9/23

अति आवश्यक

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) आवक नं. 7566 दिनांक 26/9/23

E:\Rakesh\2023 PART II\2 MISC 23-05-23 to.docx

6-MPB021/2022-BHO

1/52696/2023

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL – 462016 (M.P.)
TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

सत्यमेव जयते

क्रमांक: 6-एमपीबी 021/2022-बीएचओ/ दिनांक : 11 /09/2023.

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

विषय: अलीराजपुर जिले में ए.डी.बी-6 योजना के अन्तर्गत भाभरा-उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन/ चौड़ीकरण हेतु 2.77 हैक्टेयर आरक्षित वनभूमि संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ: 1.नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1141/2022/10-11/2758 दिनांक 04/07/2023.
2.आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/259 दिनांक 29/08/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 23/08/2023 को आयोजित की गयी । बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 29/08/2023 (संदर्भित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. As the User Agency violated the FCA, 1980, in accordance with MoEF&CC guideline dated 15.05.2023, the DFO is authorized to initiate action against responsible persons and file a case under section 3A/ 3B in Hon'ble Court. Also, the action taken report on the concerned responsible Forest officials shall be submitted.
2. User Agency shall upload correct cost of the project on the PARIVESH portal

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय

(हरे राम कुमार)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।

Signed by Hare Ram Kumar
Date: 11-09-2023 10:33:55
Reason: Approved